बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग- १ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

(बुधवार, तिथि ७ जुलाई १९७६ ई० ।)

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ II के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर ।	१-२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : २० एवं २१	२—१४
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ५६५, ९७०-९७४, ९७६, ९८५, ९८८-९९३, ९९७, ९९९, १००१, १००३-१००६, १००९-१०११, १०१५, १०१६, १०२०-१०२२, १०२४, १०२६, १०२७, १०३०, १०४१ ।	१४—६०
अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :	
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	६१—१४६
दैनिक निबंध	१४७-१४८

टिप्पणी : —जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क से होकर लोग देवी स्थान में पूजा करने जाते हैं, जिन्हें बरसात के दिनों में आवागमन में कठिनाई होती है ;

(३) क्या यह बात सही है कि गत बाढ़ के समय से उक्त सड़क की हालत और भी दयनीय हो गयी है ;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार इस संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, नागरिक विकास विभाग--(१) निगम के अनुसार प्रासंगिक पत्र उपलब्ध नहीं हैं ।

(२) देवी स्थान खुले मैदान में है जहां कई पगडंडियों से लोग पहुंचते हैं । मुख्य सड़क से एक गली भी जाती है पर यह देवी स्थान तक नहीं पहुंचती है । यह गली निगम की नहीं ।

(३) नहीं, सड़क कच्ची है तथा आवागमन के लायक है;

(४) गली निगम की नहीं होने के कारण इस संबंध में कोई कार्रवाई विचाराधीन नहीं है ।

गोढ़ियारे हाट के संबंध में ।

रा-१५६ । श्री सरयू मिश्र--क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत मौजा भागपोखर, थाना नं० १५० अंचल फारबिसगंज का खेसरा नं० ७०१ राजस्व अभिलेख में गोढ़ियारे हाट के नाम के दर्ज है ;

(२) क्या यह बात सही है कि अंचल पदाधिकारी फारबिसगंज हर साल गोढ़ियारे हाट का डांक करते हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि गोढ़ियारे हाट खेसरा नं० ७०१ में नहीं लगती है;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो गोढ़ियारे हाट, मौजा भागपोखर के खेसरा नं० ७०१ में क्यों नहीं लगती है एवं खेसरा नं० ७०१ की स्थिति क्या है तथा उक्त खेसरा किसके कब्जे में है ?

प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग--(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) मौजा भागपोखर के खेसरा नं० ७०१ का कुल रकवा ०.८६ एकड़ है जिसमें से भूतपूर्व जमींदार ने ०.२२½ एकड़ जमीन को श्री रघुनन्दन साह एवं श्री भोगी लाल डुगर के साथ बन्दोबस्त कर दी थी जिसे बजरिए केवाला श्री उदय चन्द गया प्रसाद ने खरीद किया एवं दखलदार हुए। शेष जमीन पर उन्होंने धीरे-धीरे अतिक्रमण द्वारा कब्जा कर लिया। इस संबंध में अतिक्रमण मुकदमा भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर किया गया। परन्तु इसी बीच अतिक्रमणकर्त्ता श्री उदय चन्द गया प्रसाद ने मुंसिफ, अररिया के न्यायालय में स्वत्ववाद मुकदमा दायर कर दिया। अभी यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसी कारण वर्त्तमान हाट खेसरा नं० ७०२ में लग रहा है।

श्री हंसदा पर कार्रवाई।

प्र-१२६। श्री सोम मुरमू—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिला के गोपीकान्दर प्रखंडान्तर्गत लुखीबाद निम्न प्राथमिक विद्यालय है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री मोहन हंसदा दिनांक ११ सितम्बर, १९७४ से १४ अगस्त, १९७५ तक विद्यालय से अनुपस्थित थे, फिर भी उनका वेतन भुगतान उक्त अवधि का गोपीकान्दर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा कर दिया गया है;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त अवैध वेतन भुगतान के मामले की जांच विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण ने दिनांक ३ अक्तूबर, १९७५ को की थी और जांच के दौरान वेतन भुगतान के मामले में श्री हंसदा एवं प्रखंड प्रसार पदाधिकारी, गोपीकान्दर को दोषी पाया था;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो अवैध रूप में वेतन भुगतान कराने वाले प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोपीकान्दर पर एवं प्रधाना-